



92/1

दूरावृत्ति 2286/09
2286/10

नव देतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1870 / 05 / 76 / एक / 2013-14

सेवा में,

दिनांक : 20 सितम्बर 2013

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद—कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूडा द्वारा छूटा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। **dkuij uxj**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०री० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई हैः—

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	आगणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्ट्रेज की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	कानपुर नगर	न०नि० कानपुर	ज०को० कॉटन का हाता में इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण	35.270	17.635	1.960	15.675	PNB 494600 010000 4152
2	कानपुर नगर	न०नि० कानपुर	सकोरा स्टेट, जी०टी० रोड़र में इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण	25.260	12.630	1.400	11.230	
3	कानपुर नगर	न०नि० कानपुर	शानिदेव मन्दिर के पीछे, बुनीगंज में इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण	40.270	20.135	2.240	17.895	
	योग			100.80	50.40	5.60	44.80	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों में ही स्वीकृत डी०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से तगच्छ स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकआप न कर लिया जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हरतान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- एस०री०पी० योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



९३/२

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- ६— उक्त धनराशि छूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- ७— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती राम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- ८— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीप्य,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- संयुक्त निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।।
- कम्प्यूटर रोल—सूडा।।।
- लेखा विमाग—सूडा।।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक